कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक़्फ बोर्ड

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत छ.ग.शासन द्वारा गठित सांविधिक बोर्ड)
डॉ.भीमराव अम्बेडकर मूर्ति के सामने, कलेक्ट्रेट चौक रायपुर–492001 दूरभाष
0771–4914840, फैक्स नं.0771–4058539, ई–मेलः cgstatewakfboard@yahoo.com

2195/R
27/11/2020

क्रं./2067/ विधि /2020 रायपुर दिनांक– 19.11.2020

to IT section to upload
25/11/20

प्रति,

कुलपति महोदय,
हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय
नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़

विषयः-- **लॉ–इंटर्न की सेवायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध।**

आदरणीय महोदय,

कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि, भारत सरकार/सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल की एक परियोजना/सॉफ्टवेयर WAMSI द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 2006 वक्फ संपत्तियों का प्राथमिक चिन्हांकन किया गया है। इन संपत्तीयों में से 1550 संपत्तीया अतिक्रमण एवं न्यायालयीन वाद से ग्रसित है। मैदानी सर्वेक्षण से वक्फ संपत्तीयों की संख्या बढ़कर लगभग 3000 या अधिक हो जायेगी।

02./– एक अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 करोड़ के बाजार मुल्य की वक्फ संपत्तीयां है जिनमें से 75 प्रतिशत बेजा कब्जा/अतिक्रमण एवं न्यायालयीन विवाद से ग्रसित है।

03./– राज्य वक्फ बोर्ड के सेटअप में केवल 01 विधि अधिकारी/सलाहकार का पद स्वीकृत हैं। पृथक–पृथक प्रकरण हेतु व्यवसायिक अधिवक्ता की सेवायें लेने से शुल्क अधिक होता है तथा वक्फ बोर्ड के बजट में इस हेतु पृथक मद/प्रावधान उपलब्ध नही है। विभिन्न न्यायालयों में वक्फ संपत्तीयों से संबंधित लगभग 100 प्रकरण लंबित है।

04./– राज्य में विवादग्रस्त एवं अतिक्रमण संपत्तीयों की सुरक्षा हेतु आपके विश्वविद्यालय से सहायता का विनम्र अनुरोध है। **यदि एक वर्ष के लिये लॉ–इंटर्न की पदस्थापना राज्य वक्फ बोर्ड में की जाती है तो न्यायालयीन प्रकरणों के निपटारे में सुविधा होगी** तथा करोड़ों की वक्फ संपत्ती के संरक्षण का कार्य संभव होगा। इसके अतिरिक्त **शोध प्रशिक्षु/डिर्सरटेशन** हेतु भी आपके विश्वविद्यालय से भी विद्यार्थियों को राज्य वक्फ बोर्ड में पदस्थ किये जाने का अनुरोध है।

15/11

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ0ग0 राज्य वक्फ बोर्ड
रायपुर (छ0ग0)